आरबीई सं.29/2021

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

सं.ई(डब्ल्यू)2020/पीएस5-1/9 **नई दिल्ली, दिनांक 13.04.2021**

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां

विषय: पास/यात्रा पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण।
संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 31.01.2019 और 26.07.2019 के पत्र सं.ई(डब्ल्यू)2016/पीएस5-1/8.

एचआरएमएस के भाग के रूप में ई-पास मॉड्यूल के संचालित होने के परिणामस्वरूप, रेल सूचना प्रणाली केंद्र (क्रिस) ने बोर्ड के उक्त संदर्भित पत्रों के संबंध में कतिपय मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग की है।

2. इस मामले की वाणिज्यिक और वेतन एवं भत्ते निदेशालयों के परामर्श से जांच की गई है और निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए जा रहे हैं:-

(i) सभी प्रथम श्रेणी 'ए'/प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी 'ए' पास धारक सभी प्रकार की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की 3-एसी और चेयर कार श्रेणी में यात्रा करने के लिए पात्र हैं। तदनुसार, बोर्ड के दिनांक 31.01.2019 के पत्र के अनुबंध I एवं II में अंतर्विष्ट यात्रा पात्रता तालिका में 'मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की बर्थ/सीट पात्रता' के कॉलम में' 3-एसी के साथ 'सीसी' को जोड़ा जाए और इसे 3-एसी/सीसी' के रूप में पढ़ा जाए।

(ii) रेलवे बोर्ड, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय और इरीसेन में 'पे मैट्रिक्स में पे लेवल' (पीएलपीएम) 7 में सहायक लाइब्रेरी एवं सूचना अधिकारी के पद को ग्रुप 'बी' राजपत्रित पद के रूप में अपग्रेड किया गया है। तदनुसार, बोर्ड के दिनांक 31.01.2019 और 26.07.2019 के उक्त पत्रों में पीएलपीएम 8 में ग्रुप बी राजपत्रित अधिकारियों के साथ सभी जगह पर पीएलपीएम 7 को जोड़ा जाए।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(महेश कुमार मीना)
संयुक्त निदेशक स्थापना (कल्याण)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

(i)	महाप्रबंधक/एचआरएमएस रेल सूचना प्रणाली केंद्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110002.	: क्रिस के दिनांक 29.09.2020 के पत्र सं.2018/क्रिस/एनडीएलएस-आईटीपीआई/एचआरएमएस/रेलवे बोर्ड/एचआरएमएस/0029/पार्ट-I और दिनांक 16.12.2020 के संख्या रहित पत्र के संदर्भ में।
(ii)	कार्यपालक निदेशक, वेतन आयोग-II, रेलवे बोर्ड.	: सूचनार्थ।
(iii)	सामान्य शाखा, रेलवे बोर्ड.	: सूचनार्थ।